मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित विभिन्न लाभार्थीपरक कल्याणकारी योजनाओं का विवरण

जिला सैक्टर योजनाऐं

क्र.स.	योजना का नाम	योजना से दिये जाने वाले लाभ का विवरण	योजना का संक्षिप्त विवरण	अभ्युक्ति
1.	**जलाशय का विकास योजनान्तर्गत**			
क)	समन्वित मत्स्य पालन योजना	अनुदान	1. समन्वित मत्स्य पालन– मैदानी जनपदों में 0.20 हैक्टेयर क्षेत्रफल पर बाड़ा निमार्ण, बन्धों पर पेड़ लगाये जाने एवं प्रथम वर्षीय निवेश पर होने वाले व्यय धनराशि रू0 91,000.00 के सापेक्ष 50 प्रतिशत अनुदान रू0 45,000.00 का अनुदान देय होगा।	1. प्रति व्यक्ति 01 यूनिट तक का अनुदान देय हैं।
ख)	मत्स्य पालन सशक्तीकरण योजना	अनुदान	1. इन्सुलेटेड बॉक्स– इन्सुलेटेड बॉक्स की लागत रू0 6,000.00 पर 50 प्रतिशत अनुदान की दर से धनराशि रू0 3,000.00 अनुदान देय होगा। 2. एरियेटर – एरियेटर लागत धनराशि रू0 60,000. 00 या बाजार भाव पर 50 प्रतिशत अनुदान की दर से धनराशि रू० 30,000.00 अनुदान देय होगा । 3. मिनी किट – मिनी किट लागत धनराशि रू0 10,000.00 पर 50 प्रतिशत अनुदान की दर से धनराशि रू0 5,000.00 अनुदान देय होगा।	1. एक लाभार्थी को अधिकतम 01 तथा समिति को अधिकतम 02 इन्सुलेटेड बॉक्स उपलब्ध कराये जा सकेगें। 2. एक लाभार्थी को सामान्यतः 01, अथवा सम्बन्धित तालाब का 01 हैक्टेयर से अधिक का क्षेत्रफल होने पर अधिकतम 02 तथा एक समिति को 2.00 हैक्टेयर से अधिक का क्षेत्रफल होने पर अधिकतम 04 एरियेटर उपलब्ध कराये जा सकेगें। 3. एक लाभार्थी अथवा

				समिति को अधिकतम 01 मिनीकिट उपलब्ध करायी जा सकेगी।
ग)	मत्स्य उत्पादकता वृद्धि योजना	अनुदान	तालाब सुधार कर रियरिंग यूनिट निर्माण – योजनान्तर्गत पर्वतीय जनपदों में तालाबों का सुधार हेतु कुल लागत धनराशि रू0 40,000.00 के सापेक्ष 50 प्रतिशत का अनुदान धनराशि रू० 20,000.00 देय होगा। शेष धनराशि लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी।	एक लाभार्थी को 100 वर्ग मीटर की अधिकतम तीन यूनिट देय होगी।
2	अनुसूचित जाति उपयोजना मत्स्य पालन सम्बन्धी कार्यक्रम (एस०सी०एस०पी०)	अनुदान गोष्ठी/प्रशिक्षण /फिल्ड /ट्रिप	प्रशिक्षण – पाँच दिवसीय प्रशिक्षण में प्रति 50 प्रशिक्षणाथियों/ 01 बैंच हेतु धनराशि रू0 4.25 लाख का व्यय।	लाभार्थियों को निःशुल्क मत्स्य पालन की नवीनतम तकनीक का प्रशिक्षण दिया जायेगा।
			फील्ड भ्रमण – प्रति मत्स्य पालक धनराशि रू0 15,000/– की दर से फील्ड ट्रिप पर व्यय।	लाभाथियों को निःशुल्क 05–07 दिवस के राज्य से बाहर एवं राज्य के अन्दर मत्स्य पालन की व्यवहारिक जानकारी हेतु फील्ड भ्रमण।
			सेमिनार /गोष्ठी – धनराशि रू0 15,000/– की दर से प्रति सेमिनार /गोष्ठी पर व्यय।	मत्स्य पालन व मात्स्यिकी विकास की जानकारी एवं प्रचार–प्रसार कार्य।

3	मत्स्य पालन विविधीकरण योजना (एस०सी०एस०पी०)	अनुदान	पर्वतीय तालाब सुधार एवं प्रथम वर्षीय निवेश (100 वर्ग मी0 /0.01 हैं० / यूनिट) – प्रति यूनिट तालाब सुधार धनराशि रू0 0.50 लाख एवं प्रथम वर्षीय निवेश धनराशि रू0 0.20 लाख कुल धनराशि रू0 0.70 लाख पर अनुसूचित जाति वर्ग के लाभाथियों को 60 प्रतिशत का अनुदान।	पर्वतीय क्षेत्रों में प्रति लाभार्थी को अधिकतम 03 यूनिट तक का अनुदान देय है।
			मैदानी तालाब सुधार एवं प्रथम वर्षीय निवेश (1.0 हैं0) – प्रति हैक्टेयर क्षेत्रफल के निर्माण धनराशि रू0 3. 50 लाख एवं प्रथम वर्षीय निवेश धनराशि रू0 1.50 लाख कुल धनराशि रू0 5.00 लाख पर अनुसूचित जाति वर्ग के लाभाथियों को 60 प्रतिशत का	मैदानी क्षेत्रों में प्रति लाभार्थी को अधिकतम 05 हैक्टेयर क्षेत्रफल तक का अनुदान देय है।
			पर्वतीय तालाबों में समन्वित मत्स्य पालन – पर्वतीय क्षेत्र में पूर्व से निर्मित तालाब पर 20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का शैड (01 यूनिट) निर्माण एवं प्रथम वर्षीय निवेश सहित कुल लागत धनराशि रू0 1.39 लाख पर अनुसूचित जाति वर्ग के लाभाथियों को 60 प्रतिशत का अनुदान।	प्रति लाभार्थी को अधिकतम 01 पर्वतीय तालाबों में समन्वित मत्स्य पालन हेतु अनुदान देय है।
			मैदानी तालाबों में समन्वित मत्स्य पालन – पर्वतीय क्षेत्र में पूर्व से निर्मित तालाब पर 50 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का शैड (01 यूनिट) निर्माण एवं प्रथम वर्षीय निवेश सहित कुल लागत धनराशि रू0 6.60 लाख पर अनुसूचित जाति वर्ग के लाभाथियों को 60 प्रतिशत का अनुदान।	प्रति लाभार्थी को अधिकतम 01 मैदानी तालाबों में समन्वित मत्स्य पालन हेतु अनुदान देय है।
			उत्पाद प्रसंस्करण हेतु मोबाईल फिश स्टॉल की स्थापना – मोबाईल लागत धनराशि फिश स्टॉल की स्थापना रू0 2.50 लाख पर अनुसूचित जाति वर्ग के लाभाथियों को 60 प्रतिशत का अनुदान।	प्रति लाभार्थी को अधिकतम 01 मोबाईल फिश स्टॉल की स्थापना हेतु हेतु अनुदान देय है।

			प्रचार–प्रसार एवं साहित्य वितरण – प्रति जनपद अधिकतम धनराशि रू0 0.20 लाख का व्यय।	इस मद अन्तर्गत योजना का साहित्य, पैम्पलेट, बुकलेट, ब्राउसर, होर्डिग आदि लगाकर प्रचार–प्रसार कार्य।

राज्य सैक्टर योजनाऐं

क्र. स.	योजना का नाम	योजना से दिये जाने वाले लाभ का विवरण	योजना का संक्षिप्त विवरण	अभ्युक्ति
	पर्वतीय क्षेत्रों में आदर्श मत्स्य तालाब निर्माण योजना।	अनुदान गोष्ठी/प्रशिक्षण / फिल्ड/ ट्रिप	कलस्टर आधारित तालाब निर्माण एवं प्रथम वर्षीय निवेश–प्रति 01 क्यूबिक मीटर का तालाब निर्माण एवं निवेश हेतु धनराशि रू0 0.01 लाख पर सभी वर्ग के लाभार्थियों को 50 प्रतिशत का अनुदान।	• पर्वतीय क्षेत्रों में प्रति लाभार्थी अधिकतम 500 धन मीटर तक का अनुदान देय है। एक गांव में न्यूनतम 10 तालाब तैयार किये जायेगें तथा अधिकतम तालाबों की कोई सीमा नही होगी।
			प्रशिक्षण – पाँच दिवसीय प्रशिक्षण में प्रति लाभार्थी धनराशि रू0 150 /– प्रति दिवस की दर से मानदेय देय होगा।	लाभार्थियों को मत्स्य पालन की नवीनतम तकनीक का प्रशिक्षण दिया जायेगा।
			फील्ड भ्रमण – प्रति मत्स्य पालक धनराशि रू0 10,000 /– की दर से फील्ड ट्रिप पर व्यय।	लाभार्थियों को निःशुल्क 05–07 दिवस के राज्य से बाहर एवं राज्य के अन्दर मत्स्य पालन की व्यवहारिक जानकारी हेतु फील्ड भ्रमण।
			सेमिनार/गोष्ठी – धनराशि रू0	मत्स्य पालन व मात्स्यिकी विकास की

			10,000/- की दर से प्रति सेमिनार / गोष्ठी पर व्यय।	जानकारी एवं प्रचार-प्रसार कार्य।
	अनुसूचित जाति उपयोजना मत्स्य पालन सम्बन्धी कार्यक्रम (एस०सी०एस०पी०)।	अनुदान गोष्ठी/प्रशिक्षण / फिल्ड/ ट्रिप	कलस्टर आधारित तालाब निर्माण एवं प्रथम वर्षीय निवेश - प्रति 01 क्यूबिक मीटर का तालाब निर्माण एवं निवेश हेतु धनराशि रू0 0.01 लाख पर अनुसूचित जाति वर्ग के लाभाथियों को 60 प्रतिशत का अनुदान।	• पर्वतीय क्षेत्रों में प्रति लाभार्थी अधिकतम 500 धन मीटर तक का अनुदान देय है। • एक गांव में न्यूनतम 10 तालाब तैयार किये जायेगें तथा अधिकतम तालाबों की कोई सीमा नही होगी।
			मैदानी तालाब निर्माण एवं प्रथम वर्षीय निवेश (1.0 हैं0) - प्रति हैक्टेयर क्षेत्रफल के निर्माण धनराशि रू0 7.00 लाख एवं प्रथम वर्षीय निवेश धनराशि रू0 1.50 लाख कुल धनराशि रू0 8.50 लाख पर अनुसूचित जाति वर्ग के लाभार्थियों को 60 प्रतिशत का अनुदान।	मैदानी क्षेत्रों में प्रति लाभार्थी को अधिकतम 02 हैक्टेयर तथा मत्स्यजीवी सहकारी समिति को अधिकतम 20 हैक्टेयर तक का अनुदान देय है।
4	मत्स्य पालन विविधीकरण योजना (टी०एस०पी०)	अनुदान	पर्वतीय तालाब सुधार एवं प्रथम वर्षीय निवेश (100 वर्ग मी०/0.01 हैं० / यूनिट) - प्रति यूनिट तालाब सुधार धनराशि रू0 0.50 लाख एवं प्रथम वर्षीय निवेश धनराशि रू0 0.20 लाख कुल धनराशि रू0 0.70 लाख पर अनुसूचित जाति वर्ग के लाभाथियों को 60 प्रतिशत का अनुदान।	पर्वतीय क्षेत्रों में प्रति लाभार्थी को अधिकतम 03 यूनिट तक का अनुदान देय है।
			मैदानी तालाब सुधार एवं प्रथम वर्षीय निवेश (1.0 हैं0) - प्रति हैक्टेयर	मैदानी क्षेत्रों में प्रति लाभार्थी को अधिकतम 05 हैक्टेयर क्षेत्रफल तक का अनुदान देय है।

			क्षेत्रफल के निर्माण धनराशि रू0 3.50 लाख एवं प्रथम वर्षीय निवेश धनराशि रू0 1.50 लाख कुल धनराशि रू0 5.00 लाख पर अनुसूचित जाति वर्ग के लाभार्थियों को 60 प्रतिशत का अनुदान।	
			पर्वतीय तालाबों में समन्वित मत्स्य पालन – पर्वतीय क्षेत्र में पूर्व से निर्मित तालाब पर 20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का शैड (01 यूनिट) निर्माण एवं प्रथम वर्षीय निवेश सहित कुल लागत धनराशि रू0 1.39 लाख पर अनुसूचित जाति वर्ग के लाभार्थियों को 60 प्रतिशत का अनुदान।	प्रति लाभार्थी को अधिकतम 01 पर्वतीय तालाबों में समन्वित मत्स्य पालन हेतु अनुदान देय है ।
			मैदानी तालाबों में समन्वित मत्स्य पालन – पर्वतीय क्षेत्र में पूर्व से निर्मित तालाब पर 50 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का शैड (01 यूनिट) निर्माण एवं प्रथम वर्षीय निवेश सहित कुल लागत धनराशि रू० 6.60 लाख पर अनुसूचित जाति वर्ग के लाभार्थियों को 60 प्रतिशत का अनुदान।	प्रति लाभार्थी को अधिकतम 01 मैदानी तालाबों में समन्वित मत्स्य पालन हेतु अनुदान देय है।
			उत्पाद प्रसंस्करण हेतु मोबाईल मोबाईल फिश स्टॉल की स्थापना – मोबाईल फिश स्टॉल की स्थापना हेतु लागत धनराशि फिश स्टॉल की स्थापना हेतु अनुदान देय है। रू0 2.50 लाख पर अनुसूचित जाति वर्ग के लाभार्थियों को 60 प्रतिशत का अनुदान।	प्रति लाभार्थी को अधिकतम 01 मोबाईल फिश स्टॉल की स्थापना हेतु अनुदान देय है।
			प्रचार–प्रसार एवं साहित्य वितरण –	इस मद अन्तर्गत योजना का साहित्य,

			प्रति जनपद अधिकतम धनराशि रू0 0. 20 लाख का व्यय।	पैम्पलेट, बुकलेट, ब्राउसर, होर्डिंग आदि लगाकर प्रचार–प्रसार कार्य।
5	अनुसूचित जनजाति थारू, बोक्सा उप योजना राजि, जनजातियों के लिए (टी०एस०पी०)	अनुदान गोष्ठी/प्रशिक्षण / फिल्ड/ ट्रिप	कलस्टर आधारित तालाब निर्माण एवं प्रथम वर्षीय निवेश–प्रति 01 क्यूबिक मीटर का तालाब निर्माण एवं निवेश हेतु धनराशि रू0 0.01 लाख पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभाथियों को 60 प्रतिशत का अनुदान।	• पर्वतीय क्षेत्रों में प्रति लाभार्थी अधिकतम 500 घन मीटर तक का अनुदान देय है। • एक गांव में न्यूनतम 10 तालाब तैयार किये जायेगें तथा अधिकतम तालाबों की कोई सीमा नही होगी।
	अनुसूचित जनजाति थारू, बोक्सा उप योजना राजि, जनजातियों के लिए (टी०एस०पी०)	अनुदान गोष्ठी/प्रशिक्षण / फिल्ड/ ट्रिप	मैदानी तालाब निर्माण एवं प्रथम वर्षीय निवेश (1.0 हैं0) – प्रति हैक्टेयर क्षेत्रफल के निर्माण धनराशि रू0 7.00 लाख एवं प्रथम वर्षीय निवेश धनराशि रू0 1.50 लाख कुल धनराशि रू0 8.50 लाख पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभाथियों को 60 प्रतिशत का अनुदान।	मैदानी क्षेत्रों में प्रति लाभार्थी को अधिकतम 02 हैक्टेयर तथा मत्स्यजीवी सहकारी समिति को अधिकतम 20 हैक्टेयर तक का अनुदान देय है।
			प्रशिक्षण – पाँच दिवसीय प्रशिक्षण में प्रति 50 प्रशिक्षणार्थियों/01 बैच हेतु धनराशि रू0 4.25 लाख का व्यय।	लाभार्थियों को निःशुल्क मत्स्य पालन की नवीनतम तकनीक का प्रशिक्षण दिया जायेगा।
			फील्ड ट्रिप – प्रति मत्स्य पालक धनराशि रू0 15,000/– की दर से फील्ड ट्रिप पर व्यय।	लाभार्थियों को निःशुल्क 05–07 दिवस के राज्य से बाहर एवं राज्य के अन्दर मत्स्य पालन की व्यवहारिक जानकारी हेतु फील्ड भ्रमण।
			सेमिनार/गोष्ठी – धनराशि रू० 15,000/ – की दर से प्रति सेमिनार/गोष्ठी पर व्यय।	मत्स्य पालन व मात्स्यिकी विकास की जानकारी एवं प्रचार–प्रसार कार्य।

6	राज्य मात्स्यिकी इनपुट योजना	अनुदान / सामग्री	संतुलित मत्स्य आहार वितरण – योजनान्तर्गत पूरक मत्स्य आहार प्रणाली को प्रोत्साहित किये जाने हेतु मत्स्य पालकों को 50 प्रतिशत अनुदानित दरों पर मत्स्य आहार उपलब्ध कराया जाता हैं।	1) पर्वतीय क्षेत्र में एक व्यक्ति को अधिकतम 0.01 हैक्टेयर तालाब हेतु 01 कुन्टल मत्स्य आहार दिया जायेगा। 2) मैदानी क्षेत्र में एक व्यक्ति को अधिकतम 0.05 हैक्टेयर तालाब हेतु 06 कुन्टल मत्स्य आहार दिया जायेगा। 3) मैदानी क्षेत्र में एक व्यक्ति को अधिकतम 0.20 हैक्टेयर तालाब हेतु 10 कुन्टल मत्स्य आहार दिया जायेगा। 4) स्थापित बायोफ्लॉक यूनिट के 01 टैंक (न्यूनतम 10 क्यूबिक मीटर) हेतु 07 कुन्टल मत्स्य आहार दिया जायेगा। एक मत्स्य पालक को 02 टैंक हेतु लाभ दिया जायेगा। 5) स्थापित आर०ए०एस० यूनिट के 01 टैंक (न्यूनतम 30 क्यूबिक मीटर) हेतु 23 कुन्टल मत्स्य आहार दिया जायेगा। एक मत्स्य पालक को 02 टैंक हेतु लाभ दिया जायेगा। 6) पर्वतीय क्षेत्र में एक यूनिट ट्राउट रेसवेज टैंक (50 क्यूबिक मीटर) हेतु को अधिकतम 05 कुन्टल मत्स्य आहार दिया जायेगा । व्यक्तिगत मत्स्य पालक को 02 यूनिट एवं समिति को 04 यूनिट रेसवेज हेतु लाभ दिया जायेगा
			जाल, हैण्डनेंट एवं हापा – तालाब के आकार के अनुसार मत्स्य पालको/ समितियों / फेडरेशन को जाल, हैण्डनेंट, दवाईयों एवं हापा के क्रय लागत मूल्य पर 50 प्रतिशत का	मत्स्य पालको को अनुदानित दरों पर जाल, हैण्डनेंट, दवाईयों एवं दवाईयों एवं हापा आदि की उपलब्धता।

			अनुदान उपलब्ध कराया जाता हैं।	

विकेन्द्रपोषित योजनाऐं

क्र. स.	योजना का नाम	योजना से दिये जाने वाले लाभ का विवरण	योजना का संक्षिप्त विवरण	अभ्युक्ति
1	प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (90 प्रतिशत केन्द्रपोषित)	अनुदान	1) फिश सीड रियरिंग यूनिट का निर्माण एवं प्रथम वर्षीय निवेश – प्रति हैक्टेयर क्षेत्रफल के निर्माण धनराशि रू0 7.00 लाख एवं प्रथम वर्षीय निवेश धनराशि रू0 4.00 लाख यह योजना समस्त जनपदों में संचालित अर्थात् कुल धनराशि रू0 11.00 लाख का व्यय के सापेक्ष की जायेगी, जिसमें व्यक्तिगत लाभार्थी 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा। 2) नये ग्रोआउट तालाब का निर्माण एवं प्रथम वर्षीय निवेश – प्रति हैक्टेयर क्षेत्रफल के निर्माण धनराशि रू0 7.00 अर्थात् कुल धनराशि रू० लाख एवं	यह योजना समस्त जनपदों में संचातिल की जायेगी, जिसमें व्यक्तिगत लाभार्थी को न्यून्तम क्षेत्रफल 0.05 हैक्टेयर (अथवा 0.20 हैक्टेयर) से 0. 50 हैक्टेयर तक के आकार का नये रियरिंग तालाब निर्माण हेतु अधिकतम क्षेत्रफल 2.00 हैक्टेयर तक का अनुदान देय होगा। मत्स्य समूह / समितियों को 2 हैक्टेयर X समिति के सदस्य के समतुल्य अथवा अधिकतम 20 हैक्टेयर तक का अनुदान देय होगा। निर्मित किये जाने वाले तालाबों की न्यून्तम गहराई 1.5 मीटर होगी। मैदानी क्षेत्रों में प्रति लाभार्थी को अधिकतम 02 हैक्टेयर तक का अनुदान देय है।

			प्रथम वर्षीय निवेश धनराशि रू0 4.00 लाख 11.00 लाख का व्यय के सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा।	

			3) परमानेन्ट फार्मिंग यूनिट/ट्राउट रेसवेज का निर्माण एवं प्रथम वर्षीय निवेश (50 क्यूबिक मी0/यूनिट) – प्रति यूनिट (50 क्यूबिक मी० क्षेत्रफल) के निर्माण धनराशि रू0 3.00 लाख एवं प्रथम वर्षीय निवेश धनराशि रू0 2.50 लाख अर्थात् कुल धनराशि रू0 5.50 लाख का व्यय के सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा। 4) ट्राउट फिश हैचरी की स्थापना – प्रति यूनिट ट्राउट हैचरी निर्माण धनराशि रू0 50.00 लाख का व्यय के सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा ।	पर्वतीय क्षेत्रों में प्रति लाभार्थी/इन्टरप्रीईनर को अधिकतम 04 यूनिट तथा सहकारी समिति/स्वयं सहायता समूह/समूह/ऐजेन्सीज् (जसमें न्यूनतम 10 सदस्य हो तथा 1 MT प्रति रेसवेज मत्स्य उत्पादन क्षमता हों) को अधिकतम 20 यूनिट ट्राउट रेसवेज का निर्माण एवं प्रथम वर्षीय निवेश तक का अनुदान देय है। ट्राउट फिश हैचरी की स्थापना हेतु लाभार्थी के पास 0.40 है0 (4000 वर्ग मी०) क्षेत्रफल की भूमि तथा 10 लाख ट्राउट फिश फ्राई प्रति वर्ष अथवा 15 लाख ट्राउट फिश आईड। ओवा उत्पादन की क्षमता हों। प्रति लाभार्थी को 01 यूनिट तक का अनुदान देय होगा। मैदानी क्षेत्रों में प्रति लाभार्थी को अधिकतम 02 हैक्टेयर तक का अनुदान देय है।

		अनुदान	5) पंगेशियस मत्स्य पालन हेतु प्रथम वर्षीय निवेश प्रति हैक्टेयर क्षेत्रफल पर प्रथम वर्षीय निवेश धनराशि रू0 4.00 लाख का व्यय के सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा ।	मैदानी क्षेत्रों में प्रति लाभार्थी को अधिकतम 02 हैक्टेयर तक का अनुदान देय है।
			6) एकीकृत मत्स्य पालन हेतु निवेश सहायता – प्रति हैक्टेयर क्षेत्रफल पर प्रथम वर्षीय निवेश धनराशि रू0 1.00 लाख का व्यय के सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा।	प्रति लाभार्थी को अधिकतम 02 हैक्टेयर तक का तथा ग्रुप/समिति को 20 हैक्टेयर तक का अनुदान देय है।
			7) मीठाजल क्षेत्रों में बायोफ्लॉक तालाब का निर्माण (including Inputs of Rs- 4-0	यह योजना समस्त जनपदों में संचालित की जायेगी, जिसमें व्यक्तिगत

			lakhs / Ha) – प्रति 0.10 हैक्टेयर क्षेत्रफल के निर्माण धनराशि रू0 10.00 लाख एवं प्रथम वर्षीय निवेश धनराशि रू0 4.00 लाख अर्थात् कुल धनराशि रू0 14.00 लाख का व्यय के सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा।	लाभार्थी/इर्न्टप्रयूनर/मत्स्य सहकारी समिति/एस०एच०जी०एस० आदि को न्यून्तम क्षेत्रफल 0.10 हैक्टेयर तक के के नये बायोफ्लॉक तालाब निर्माण हेतु अनुदान देय
			8) लार्ज आर० ए० एस० सिस्टम की स्थापना (08 टैक/यूनिट, न्यूनतम 90 धन मी० प्रति टेंक, उत्पादन क्षमता 40 टन प्रति क्रॉप) अथवा बायोफ्लॉक कल्चर सिस्टम (50 टैंक, 4 मी0 परिधि एवं 1.50 मी उँचाई प्रति टैंक) – प्रति यूनिट क्षेत्रफल के निर्माण हेतु धनराशि रू0 50. 00 लाख का व्यय के सापेक्ष कुल 20 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु तथा कुल 25 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा।	व्यक्तिगत लाभार्थी को अधिकतम 01 यूनिट व्यक्तिगत लाभार्थी को अधिकतम 01 यूनिट (08 टैंक/यूनिट, न्यूनतम 90 धन मी० प्रति टैंक) अथवा बायोफ्लॉक कल्चर सिस्टम (50 टैंक, 4 मी० परिधि एवं 1.50 मी उँचाई प्रति टैंक) तक का अनुदान देय होगा।
			9) मीडियम आर० ए० एस० सिस्टम की स्थापना (06 टैक/ यूनिट, न्यूनतम 30 घन मी० प्रति टैंक, उत्पादन क्षमता 10	व्यक्तिगत लाभार्थी को अधिकतम 01 यूनिट (06 टैंक/यूनिट, न्यूनतम 30 धन मी0 प्रति टेंक) अथवा बायोफ्लॉक कल्चर सिस्टम (25 टैंक, 4 मी०

			टन प्रति क्रॉप) अथवा बायोफ्लॉक कल्चर सिस्टम (25 टैंक, 4 मी० परिधि एवं 1.50 मी उँचाई प्रति टैंक) – प्रति यूनिट क्षेत्रफल के निर्माण हेतु धनराशि रू0 25.00 लाख का व्यय के सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा।	परिधि एवं 1.50 मी उँचाई प्रति टैंक) तक का अनुदान देय होगा।
		अनुदान	10) लघु आर० ए० एस० सिस्टम की स्थापना (01 टैक/यूनिट, न्यूनतम 100 धन मी0 प्रति टैंक) अथवा बायोफ्लॉक कल्चर सिस्टम (07 टैंक, 4 मी0 परिधि एवं 1.50 मी उँचाई प्रति टैंक) – प्रति यूनिट क्षेत्रफल के निर्माण हेतु धनराशि रू0 7.50 लाख का व्यय के सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा।	व्यक्तिगत लाभार्थी को अधिकतम 02 यूनिट (01 टैक / यूनिट, न्यूनतम 100 धन मी0 प्रति टेंक) अथवा बायोफ्लॉक कल्चर सिस्टम (07 टैंक, 4 मी0 परिधि एवं 1.50 मी उँचाई प्रति टैंक) तक का अनुदान देय होगा।

			11) बैंकयार्ड मिनी आर० ए० एस० सिस्टम की स्थापना (01 टैक /यूनिट, न्यूनतम 30 धन मी0 प्रति टैंक) – प्रति यूनिट क्षेत्रफल के निर्माण हेतु धनराशि रू0 0.50 लाख का व्यय के सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा।	व्यक्तिगत लाभार्थी को अधिकतम 04 यूनिट (01 टैक/यूनिट, न्यूनतम 30 धन मी० प्रति टैंक) तक का अनुदान देय होगा।
			12) शीतजल का मिडियम आर० ए० एस० सिस्टम की स्थापना (04 टैक/यूनिट, न्यूनतम 50 धन मी0 प्रति टैंक, उत्पादन क्षमता 04 टन प्रति क्रॉप) – प्रति यूनिट क्षेत्रफल के निर्माण हेतु धनराशि रू0 20.00 लाख का व्यय के सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा।	व्यक्तिगत लाभार्थी को अधिकतम 01 यूनिट (04 टैंक/यूनिट, न्यूनतम 50 धन मी० प्रति टैंक) तक का अनुदान देय होगा। मत्स्य समिति / सोसाईटी/ग्रुप को 02 यूनिट तक का अनुदान देय होगा।
			13) शीतजल का लार्ज आर० ए० एस०	व्यक्तिगत लाभार्थी को अधिकतम 01 यूनिट (10

			सिस्टम की स्थापना (10 टैक/यूनिट, न्यूनतम 50 धन मी० प्रति टेंक, उत्पादन क्षमता 10 टन प्रति क्रॉप) – प्रति यूनिट क्षेत्रफल के निर्माण हेतु धनराशि रू0 50.00 लाख का व्यय के सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा ।	टैंक/यूनिट, न्यूनतम 50 धन मी० प्रति टैंक) तक का अनुदान देय होगा। मत्स्य समिति / सोसाईटी/ग्रुप को 02 यूनिट तक का अनुदान देय होगा।
		अनुदान	14) मीठाजल फिश हैचरी की स्थापना (उत्पादन क्षमता – 15 मिलियन फ्राई/वर्ष/यूनिट अथवा 6 करोड़ स्पॉन/वर्ष/यूनिट) – भारत सरकार के निर्धारित मानकोनुसार रू0 25.00 लाख प्रति फिश हैचरी की स्थापना पर व्यय किया जाना है, जिसके सापेक्ष 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग के लाभार्थी हेतु तथा 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग लाभार्थी हेतु देय होगा।	एक व्यक्ति को अधिकतम 01 यूनिट देय है।
		अनुदान	15) जलाशयों में केज की स्थापना – भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकोनुसार रू0 3000 /– प्रति	यह योजना वर्तमान में समस्त जनपदों में संचालित की जायेगी, जिसमें लाभार्थी को एक वास्तविक स्थान पर अधिकतम 1800 क्यूबिक मीटर केज

			क्यूबिक मीटर केज निर्माण एवं निवेश का व्यय किया जाना है, जिसके कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग के मत्स्य पालक/रजिर्डड इन्टरप्रुन्युर हेतु तथा कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग लाभार्थी हेतु देय होगा 16) खुले जलक्षेत्रों में पैन कल्चर – भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकोनुसार रू0 3.00 लाख प्रति हैक्टेयर में पैन कल्चर की स्थापना पर व्यय किया जाना निर्धारित है, जिसके सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग के मत्स्य पालक/रजिर्डड इन्टरप्रुन्युर हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग लाभार्थी हेतु देय होगा	निर्माण एवं निवेश तथा मत्स्य सहकारी समिति/एस०एच०जी०स०/जे०एल०जी, स०, जिसमें न्यूनतम 10 सदस्य हो, को एक वास्तविक स्थान पर अधिकतम 7200 क्यूबिक मीटर केज निर्माण एवं निवेश तक का अनुदान देय होगा । यह योजना वर्तमान में समस्त जनपदों में संचालित की जायेगी, जिसमें लाभार्थी को एक वास्तविक स्थान वास्तविक स्थान पर अधिकतम 02 हैक्टेयर तथा मत्स्य सहकारी समिति/एस०एच०जी०स०/जे० एल०जी, स०, जिसमें न्यूनतम 10 सदस्य हो, को एक वास्तविक स्थान पर अधिकतम 20 हैक्टेयर तक का अनुदान देय होगा ।
		अनुदान	17) शीतजल क्षेत्रों में केज की स्थापना (केज की स्थापना एवं प्रथम वर्षीय निवेश) – भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकोनुसार रू0 5.00 लाख प्रति केज का व्यय किया जाना है, जिसके सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत	यह योजना वर्तमान में समस्त पर्वतीय जनपदों में संचालित की जायेगी, जिसमें लाभार्थी को एक वास्तविक स्थान अधिकतम 05 केज तथा मत्स्य सहकारी समिति/एस०एच०जी,स०/जे०एल०जी,स०, जिसमें न्यूनतम 10 सदस्य हो, को एक वास्तविक स्थान पर अधिकतम 50 केजों तक का अनुदान देय

			अनुदान सामान्य वर्ग के मत्स्य पालक/रजिर्स्टड इन्टरप्रेन्युर हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग लाभार्थी हेतु देय होगा एक केज की साईज – 6X4X4 cub mtr- होगी।	होगा।
		अनुदान	18) जलाशयों/आद्र भूमि (Wet land) में मत्स्य अंगुलिकाओं का संचय (@1000 FL / Ha ¼ 3-0 / 1 lakh FL) – भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकोनुसार रू0 3.00 प्रति मत्स्य अंगुलिका की दर से व्यय किया जाना है, जिसके सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग के मत्स्य पालक ग्रुप/रजिर्डड इन्टरप्रेन्युर/मत्स्य समिति हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग के ग्रुप/रजिस्टर्ड इन्टरप्रेन्युर/मत्स्य समिति/लाभार्थी हेतु देय होगा।	छोटे एवं मीडियम आकार के जलाशयों में संचय कार्यक्रम।
		अनुदान	19) मिनी फिश फीड मिल की स्थापना (उत्पादन क्षमता – 02 टन प्रति दिवस) – भारत सरकार द्वारा निर्धारित	प्रति व्यक्ति 01 फिश फीड मिल की स्थापना तक का अनुदान देय हैं।

			मानकोनुसार प्रति मिनी फिश फीड मिल की स्थापना हेतु धनराशि रू0 30.00 लाख का व्यय के सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा। 20) मीडियम फिश फीड मिल की स्थापना (उत्पादन क्षमता–08 टन प्रति दिवस) – भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकोनुसार प्रति मिनी फिश फीड मिल की स्थापना हेतु धनराशि रू0 100. 00 लाख का व्यय के सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा।	 प्रति व्यक्ति 01 फिश फीड मिल की स्थापना तक का अनुदान देय हैं।
		अनुदान	21) रेफ्रिजेरेटेड वाहन क्रय–भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकोनुसार प्रति रेफ्रिजेरेटेड वाहन क्रय हेतु धनराशि रू0	प्रति लाभार्थी 01 रेफ्रिजेरेटेड वाहन क्रय तक का अनुदान देय हैं।

			25. 00 लाख का व्यय के सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा ।	
			22) इन्सुलेटेड वाहन क्रय–भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकोनुसार प्रति इन्सूलेटेड वाहन कय हेतु धनराशि रू0 20.00 तक लाख का व्यय के सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में ल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा ।	प्रति लाभार्थी 01 इन्सुलेटेड वाहन क्रय तक का अनुदान देय हैं।
			23) मोटर साईकिल विद् आईस बॉक्स का कय–निर्धारित मानकोनुसार प्रति मोटर साईकिल विद् आईस बॉक्स का क्रय हेतु धनराशि रू0 0.75 लाख का व्यय के सापेक्ष 40 प्रतिशत बॉक्स अनुदान सामान्य वर्ग हेतु एवं 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित	प्रति लाभार्थी 01 मोटर साईकिल विद् आईस का क्रय तक का अनुदान देय हैं।

			जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा। 24) थ्री विलर विद् आईस बॉक्स का क्रय–निर्धारित मानकोनुसार प्रति थ्री विलर विद् आईस बॉक्स का क्रय का क्रय हेतु धनराशि रू0 3.00 लाख का व्यय के सापेक्ष 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु एवं 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा। 25) फिश कियॉस्क की स्थापना – निर्धारित मानकोनुसार प्रति फिश कियॉस्क की स्थापना हेतु धनराशि रू0 10.00 लाख का व्यय के सापेक्ष 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु एवं 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा। 26) लाईव फिश वेन्डिंग सेन्टर (Live fish vending centre) की स्थापना–निर्धारित मानकोनुसार प्रति लाईव फिश वेन्डिंग सेन्टर की स्थापना हेतु धनराशि रू0 20.00 लाख का व्यय के सापेक्ष 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु एवं 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति /अनुसूचित	 प्रति लाभार्थी 01 थ्री विहलर विद् आईस बॉक्स का कय तक का अनुदान देय हैं। स्वरोजगार का विकास कर अधिक आय अर्जित करना। प्रति लाभार्थी 01 फिश कियॉस्क की स्थापना तक का अनुदान देय हैं। प्रति लाभार्थी 01 लाईव फिश वेन्डिंग सेन्टर की स्थापना तक का अनुदान देय हैं।

			जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा। 27) फिश वेल्यू एडेड इन्टरप्राईजेज यूनिट (Fish Value Add Enterprise Unit)की स्थापना – निर्धारित मानकोनुसार प्रति फिश वेल्यू एडेड इन्टरप्राईजेज यूनिट की स्थापना हेतु धनराशि रू० 50.00 लाख का व्यय के सापेक्ष 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु एवं 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा।	प्रति लाभार्थी 01 फिश वेल्यू एडेड इन्टरप्राईजेज यूनिट की स्थापना तक का अनुदान देय हैं।
			28) बीमा–बीमित मत्स्य पालक की मृत्यु अथवा पूर्ण अपंगता पर रू0 5.00 लाख तथा अपूर्ण अपंगता पर रू0 2.50 लाख की बीमा धनराशि से आच्छादित करने का प्राविधान के साथ–साथ रू0 0.25 लाख का चिकित्सा प्रतिपूर्ति।	मत्स्य पालकों हेतु निःशुल्क सुरक्षा बीमा प्रति वर्ष।
		अनुदान	29) बैकयार्ड ओरनामेन्टल फिश रियरिंग यूनिट की स्थापना एवं इनपुट (प्रथम वर्षीय निवेश) – भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकोनुसार रू0 3.00 लाख प्रति यूनिट (न्यूनतम 300 Sq- Ft- का खाली भूमि) पर व्यय किया जाना निर्धारित है, जिसके सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत अनुदान	प्रति लाभार्थी अधिकतम एक यूनिट तक तथा ग्रुप/समिति को 20 यूनिट तक का अनुदान देय होगा।

			सामान्य वर्ग के व्यक्तिगत मत्स्य पालक/रजिर्डड इन्टरप्रुन्युर हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग लाभार्थी हेतु देय होगा एवं शेष धनराशि लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन की जायेगी ।	
			30) मिडियम स्केल ओरनामेन्टल फिश रियरिंग यूनिट की स्थापना एवं इनपुट (प्रथम वर्षीय निवेश) – भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकोनुसार रू0 8.00 लाख प्रति यूनिट (न्यूनतम 150 Sq- Mt- का खाली भूमि) पर व्यय किया जाना निर्धारित है, जिसके सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग के व्यक्तिगत मत्स्य पालक/रजिर्डड इन्टरप्रुन्युर हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग लाभार्थी हेतु देय होगा एवं शेष धनराशि लाभार्थी द्वारा स्वंय वहन की जायेगी ।	प्रति लाभार्थी अधिकतम एक यूनिट तक तथा ग्रुप/समिति को 20 यूनिट तक का अनुदान देय होगा।
			31) कोल्ड स्टोरेज/आईस प्लांट की स्थापना (न्यूनतम उत्पादन क्षमता– 10 टन) – भारत सरकार द्वारा निर्धारित	प्रति लाभार्थी अधिकतम एक यूनिट तक का अनुदान देय होगा।

			मानकोनुसार प्रति कोल्ड स्टोरेज/आईस प्लांट की स्थापना (न्यूनतम उत्पादन क्षमता – 10 टन) हेतु धनराशि रू0 40.00 लाख का व्यय के सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा। 32) कोल्ड स्टोरेज/आईस प्लांट की स्थापना (न्यूनतम उत्पादन क्षमता– 20 टन) – भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकोनुसार प्रति कोल्ड स्टोरेज/आईस प्लांट की स्थापना (न्यूनतम उत्पादन क्षमता – 20 टन) हेतु धनराशि रू0 80.00 लाख का व्यय के सापेक्ष 36 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 04 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य वर्ग हेतु तथा 54 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 06 प्रतिशत राज्यांश के रूप में कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु अनुदान देय होगा।	 प्रति लाभार्थी अधिकतम एक यूनिट तक का अनुदान देय होगा।

2	प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (100 प्रतिशत केन्द्रपोषित)	प्रशिक्षण	1. मत्स्य पालकों का कौशल विकास / प्रशिक्षण – मत्स्य पालकों का कौशल विकास / प्रशिक्षण हेतु योजनान्तर्गत शत–प्रतिशत धनराशि का वहन किया जाऐगा।	मत्स्य पालको को निःशुल्क मत्स्य पालन की नवीनतम तकनीकी जानकारी एवं वैज्ञानिक विधि से मत्स्य पालन कर मत्स्य उत्पादकता में वृद्धि लाकर अधिक आय अर्जित करना।